



विरुद्ध

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / 2018 निगरानी - 2945/2018/सीधी/अ.रा

59

- 1 रघुनंदन सिंह पिता स्व0 श्री रामकरण सिंह जाति-कुर्मी
- 2 हीरालाल पिता स्व0 श्री रामकरण सिंह
- 3 रामकली सिंह पत्नी बेवा स्व0 श्री रामकरण सिंह जाति-कुर्मी

निवासीगण- ग्राम डिहुली तहसील चुरहट, थाना कमर्जी जिला सीधी

...निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1 रामसिया पुत्र श्री हुब्बालाल पटेल निवासी लहिया (बाडासर) तहसील चुरहट, थाना कमर्जी जिला सीधी
- 2 सियाशरण पुत्र श्री हुब्बालाल पटेल निवासी बरिगवां तहसील चुरहट, थाना कमर्जी जिला सीधी
- 3 श्रीभान पटेल पुत्र श्री हुब्बालाल पटेल निवासी चरहाई तहसील चुरहट, थाना कमर्जी जिला सीधी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध  
आदेश प्र0 क्र0 0050/अपील/2017-18 दिनांकी  
09/05/2018 द्वारा पारित एस.डी.ओ चुरहट जिला सीधी

श्री. राज. वि. 14-5-18  
द्वारा आज दि. 14-5-18  
प्रत्यक्ष प्रारम्भिक तर्कों हेतु  
दिनांक 21-5-18 निगरानी  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

4  
राजस्व मण्डल  
60

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2945/18/सीधी/श्र-रा.

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....S.D.O.....  पुरखट के प्रकरण क्रमांक .....50/अपील/17.18. में पारित  आदेश दिनांक ..9.5.18... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-  राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के  फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित  संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु  दुबेकरा सीधी को भेजा जाता है। उभयपक्ष  प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...18.10.19...को  दुबेकरा सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	